प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/207728/DER/DEORIA/1858/CFO
दिनांक : 07-07-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **L B R PUBLIC SCHOOL** पता **66,67,68,70,JOT KHAJUHA, PIDRA ROAD,DEORIA** तहसील - **RUDRAPUR** प्लाट एरिया **594.43 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2324.96** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	4	0	13.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **L B R PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **11-07-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MANOJ KUMAR YADAV** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **13-07-2026** से **12-07-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **L B R PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **L B R PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : AS PER RECOMMENDATION REPORT OF FSSO DEORIA निम्न उपबन्धो के अधीन निर्गत है:-
1-अर्ह अभिकर्ता /अग्निशमन अभियन्ता से 01 वर्ष में न्यूनतम 02-बार फायर आडिट तथा विद्युत् ऑडिट कराकर प्रमाण-पत्र इस विभाग को प्रेषित करें।
2-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था/उपकरणों में किसी प्रकार का छेड़-छाड़/परिवर्तन नही किया जायेगा।
3-भवन में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थो का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
4-नियत प्राधिकारी द्वारा भवन के स्वीकृत कराये गये मानचित्र के अनुसार समस्त प्रावधान रखना वांछनीय होगा।
5-अतिरिक्त भवन निर्माण/ अधिभोग हेतु विभागीय स्वीकृति ली जायें।
6-Ease of Doing Business के अनुपालन में शा0 दिनांक 07.01.22 के अनुसार निर्गत है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
Arun Kumar
17C08051B2D9A5AC16CE62E5655C6E42D121ADD0
13-07-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 13-07-2026
स्थान : DEORIA

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.